रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222792
CG-DL-E-28102020-222792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942
No. 3411] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2020

समकरण उदग्रहण

का.आ. 3865(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 179 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समकरण उदग्रहण नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समकरण उदग्रहण (संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. समकरण उदग्रहण नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(कक) "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड" से प्रधान महानिदेशक आय कर (प्रणाली) या महानिदेशक, आय कर (प्रणाली) द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अधिकथित डाटा संरचना और मानकों के अनुसार विनिर्दिष्ट सेवाओं का विवरण देने वाले व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए जनित कोड अभिप्रेत है ;

3. उक्त नियमों के नियम 3 में,-

(क) शीर्षक में “विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) “विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिफल की रकम और” शब्दों के स्थान पर “प्रतिफल की रकम” शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के, नियम 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“**4. समकरण उदग्रहण का संदाय -** निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी स्थिति हो, जिससे समरण उद्ग्रहण की कटौती और संदाय करना अपेक्षित है ऐसे उदग्रहण की रकम का भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में समकरण उदग्रहण चालान के साथ जमा करके संदाय करेगा ।

5. विनिर्दिष्ट सेवाओं या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं का विवरण. – (1) अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण प्ररूप सं. 1 में सम्यक रूप मे उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित होगा और उसे निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी दशा हों, द्वारा निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में ;

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ।

(2) अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्ररूप सं. 1 में विवरण उस वित्तीय वर्ष के तुरंत पश्चातवर्ती 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), जैसी भी दशा हो, डाटा के सुरक्षित कैप्टर और पारेषण को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए –

(i) प्ररूप सं. 1 का इलैक्ट्रानिक फाइल करने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन का डाटा संरचना, मानक और रीति अधिकथित करेगा;

(iii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ; और

(iv) अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित पुनरीक्षित विवरण प्रस्तुत करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 6 में,-

(क) शीर्षक में “विनिर्दिष्ट सेवाओं” शब्दों के पश्चात् “अथवा ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “जहां कोई निर्धारिती” शब्दों के स्थान पर “जहां कोई निर्धारिती या ई-वाणिज्य पूर्ति जैसी भी दशा हो” शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 7 के परंतुक में “निर्धारिती” शब्द के स्थान पर “निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी स्थिति हो” शब्द रखे जाएंगे ;

7. उक्त नियमों के नियम 8 के, उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपील का प्ररूप, उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसे निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी स्थिति हो" को यथा लागू नियम 5 के अधीन विवरण सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(3) प्ररूप सं. 3 के साथ किसी दस्तावेज को उस रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें प्ररूप सं. 3 प्रस्तुत किया जाता है ।

(4) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), जैसी भी दशा हो, डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए –

(i) प्ररूप सं. 3 को इलैक्ट्रानिक फाइल करने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन का डाटा संरचना, मानक और रीति अधिकथित करेगा ; और

(iii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्त नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

8. उक्त नियमों के नियम 9 में, "निर्धारिती" शब्द के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "निर्धारिती या ई-वाणिज्य आपरेटर, जैसी भी स्थिति हों" शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के परिशिष्ट में,-

(क) प्ररूप सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 1

[समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 5 देखें]

विनिर्दिष्ट सेवाओं या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं का विवरण

ईएल – 1

- कृपया अनुदेशों का अनुसरण करें
- केवल स्पष्ट अक्षरों का उपयोग करें

I. कृपया निम्नलिखित में से सही का निशान ( ) लगाएं, जो लागू हो;

निर्धारिती	
ई-वाणिज्य आपरेटर	

अभिस्वीकृति
केवल कार्यालय उपयोग के लिए

II. (i) धारा 167(1)/धारा 167(2) विलंबित/पुनरीक्षित/धारा 167(3) के अधीन फाइल किया

गया विवरण

(ii) दस्तावेज पहचान संख्या, यदि धारा 167 (3) के अधीन फाइल किया गया है ....

प्राप्ति सं. .... तारीख ....

1. नाम

2. पता

3. स्थायी खाता संख्यांक (पैन)/आधार

4. वित्तीय वर्ष

-

5. वार्ड/सर्कल/रेंज

(रुपए में)

6. प्रतिफल की कुल रकम

(i)संदत्त/जमा किए गए विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए (निर्धारिती की दशा में)

(ii) ई-वाणिज्य पूर्ति से प्राप्त या प्राप्त होने योग्य प्ररुप (ई-वाणिज्य आपरेटर की दशा में)

7. मद 6 पर समकरण उद्ग्रहण

8. कटौती किया गया कुल समकरण उद्ग्रहण

(ई-वाणिज्य आपरेटर की दशा में लागू नहीं)

9. संदत्त कुल समकरण उद्ग्रहण

10. संदेय/प्रतिदाय समकरण उद्ग्रहण (7-9)

11. धारा 167 के अधीन संदेय ब्याज

12. संदत्त ब्याज

भाग-ख (निर्धारिती के लिए)

कटौती किए गए और केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में संदत्त समकरण उद्ग्रहण के ब्यौरे

क्रम सं.	विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराने वाले अनिवासी का नाम	स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अनिवासी का पता	स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अनिवासी का पैन, यदि उपलब्ध हों तो	आधार यदि उपलब्ध हो	संदत्त/जमा किए गए विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रतिफल की रकम	विनिर्दिष्ट सेवाओ के प्रतिफल के रकम के संदाय/जमा करने की तारीख	समकरण उद्ग्रहण	ब्याज	शास्ति	बीएसआर कूट	चालान क्रम सं.	वह तारीख, जिसको रकम जमा की गई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

भाग-ख (ई-वाणिज्य आपरेटर के लिए)

केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में संदत्त किए गए समकरण उदग्रहण के ब्यौरे

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष का तिमाही	प्रतिफल का रकम संदत्त/ जमा	समकरण उद्धहण	ब्याज	शास्ति	बीएसआर कूट	चालान क्रम सं.	वह तारीख, जिसको रकम जमा की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

* क्रमश:_जून, सितंबर, अक्तूबर और मार्च के अंतिम तिमाही हेतु प्रयुक्त क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3 और क्यू 4 ।

सत्यापन

मैं, _______________________________ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र*/पुत्री___________________ जिसका स्थायी खाता सं. _________________ है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस विवरण में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 और समकरण उद्धहण नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार है ।

मैं, यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह विवरण _________________________________ की क्षमता में कर रहा हूं और मैं यह विवरण करने और उसका सत्यापन करने में सक्षम हूं ।

तारीख ____________

स्थान ____________ (नाम और हस्ताक्षर)

टिप्पणियां :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें ।
2. "निर्धारिती" से निवासी अभिप्रेत है और जो कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है या कोई अनिवासी, जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, जिसके द्वारा किसी अनिवासी को विनिर्दिष्ट सेवा के संबंध में (वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 166) संदत्त या संदेय समकरण उद्ग्रहण की कटौती करना अपेक्षित है ।
3. "ई-वाणिज्य आपरेटर" से कोई अनिवासी अभिप्रेत है, जो ऑनलाइन माल का विक्रय या ऑनलाइन सेवाओं का उपबंध या दोनों के लिए अंकीय या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म का स्वायी है, उसका प्रचालन या प्रबंध करता है तथा वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 166क के अधीन समकरण उद्ध्हण संदत्त करने के लिए अपेक्षित है ।

4.यह प्ररूप निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा--

(i) व्यष्टि या हिअकु की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर विवरणी सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति;

(ii) कंपनी की दशा में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय की विवरणी सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या प्रधान अधिकारी ;

(iii) किसी अन्य दशा में प्रधान अधिकारी ।

(ख) प्ररुप सं. 2 में, --

(i) पैरा 6 में, शब्दों और अंकों "नियम 8; उस प्ररूप में यथाकथित सम्यक रूप से स्टाम्पित और सत्यापित" के स्थान पर "समकरण उदग्रहण नियम, 2016 के नियम 8" शब्द और अंक रखे जाऐंगे;

(ii) पैरा 7 में, शब्दों और अंकों "नियम 9, उस प्ररूप में यथाकथित सम्यक रूप से स्टाम्पित और सत्यापित" के स्थान पर "समकरण उदग्रहण नियम, 2016 के नियम 9" शब्द और अंक रखे जाऐंगे;

(ग) प्ररुप सं. 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 3

[समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 8 देखें]

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील

आयुक्त (अपील) का पदनाम

ईएल – 3

………….. *की सं.……………………….

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">आवेदन का नाम और पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या /आधार</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">वित्त वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">निर्धारण अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">उस आदेश के ब्यौरे, जिसके विरुद्ध अपील की गई है</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(क)</td><td>वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा और उपधारा, जिसके अधीन वह आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ख)</td><td>आदेश की तारीख</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ग)</td><td>मांग की सूचना की तामील करने की तारीख</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(घ)</td><td>दस्तावेज पहचान संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">क्या उस वित्त वर्ष के लिए कोई विवरण फाइल किया गया है, जिसके संबंध में अपील की गई है</td><td></td><td>हाँ /नहीं</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td colspan="2">यदि 6 का उत्तर हाँ हैं तो विवरण फाइल करने की तारीख</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.2</td><td colspan="2">(क) क्या विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए कटौती किए गए समकरण उद्ग्रहण का संदाय किया गया है
(ख) क्या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के संबंध में किया गया या उपबंधित या सुकर बनाया गया समकरण उद्ग्रहण का संदाय किया गया है, यदि लागू हो ।</td><td>हाँ /नहीं/लागू नहीं
हाँ /नहीं/लागू नहीं</td><td></td></tr>
<tr><td>6.3</td><td colspan="2">यदि 6.2 का उत्तर हाँ हैं तो विवरण भरें</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><table><tr><td>बीएसआर कूट</td><td>संदाय की तारीख</td><td>क्रम सं.</td><td>रकम</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">**क्या आवेदक की दशा में किसी आयुक्त (अपील) के पास किसी अन्य वित्त वर्ष के संबंध में कोई अपील लंबित है</td><td colspan="2">हाँ /नहीं</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td colspan="4">यदि 7 का उत्तर हाँ हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे दें</td></tr>
<tr><td></td><td>(क)</td><td>आयुक्त (अपील) जिसके पास अपील लंबित है</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ख)</td><td>अपील सं. और अपील फाइल करने की तारीख</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ग)</td><td>वित्त वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(घ)</td><td>निर्धारण अधिकारी, जिसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की गई है</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	(ङ)	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा और उपधारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है	
	(च)	ऐसे आदेश की तारीख	
8.	तथ्यों का विवरण		
8.1	संक्षेप में मामले के तथ्य (1000 शब्दों से अनधिक)		
8.2	वह दस्तावेजी साक्ष्य, जिस पर निर्भर किया गया है		
9.	अपील करने के आधार		
10.	वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी		
11.	विवाद की रकम: (क) समकरण उदग्रहण (ख) ब्याज (ग) शास्ति		

सत्यापन का प्ररूप

मैं, ..., आवेदक घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त किया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

आज तारीख .... को सत्यापित ।

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर

टिप्पणियां :

1. अपील का प्ररूप उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसे प्ररूप सं. 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के विवरण को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।
2. * इन विशिष्टियों को आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भरा जाएगा ।
3. **यदि अपीलें एक से अधिक वित्त वर्ष के संबंध में लंबित हैं तो प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में पृथक् विशिष्टियां दी जाएं ।
4. अपील ज्ञापन के साथ एक हजार रुपए की फीस संलग्न होगी ।

5. फीस को प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में निर्धारण अधिकारी से चालान अभिप्राप्त करके जमा किया जाएगा ।"

(घ) प्ररूप सं. 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा, अर्थात :-

प्ररूप सं. 4

[समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 का नियम 9 देखें]

अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप ईएल – 4

…………………………………………………………………… आय-कर अपील अधिकरण में …………..की

*अपील सं. ………………………..

…………………. ……………

अपीलार्थी बनाम प्रत्यर्थी

1.	अपीलार्थी का स्थायी खाता संख्या/आधार	
2.	वह राज्य, जिसमें आदेश किया गया था	
3.	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की वह धारा, जिसके अधीन वह आदेश किया गया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है	
4.	आयुक्त (अपील) जिसने वह आदेश किया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है	
5.	वित्त वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है	
6.	मद 5 में निर्दिष्ट वित्त वर्ष के लिए प्रतिफल की कुल रकम (यथा लागु): (क) संदत्त/जमा की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए (ख) ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के संबंध में	
7.	मद सं. 5 में निर्दिष्ट वित्त वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा उद्गृहित शास्ति की कुल रकम	
8.	मूल आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी	
9.	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की वह धारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है	

10.	जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख	
11.	वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी	
12.	वह पता, जिस पर प्रत्यर्थी को सूचना भेजी जा सकेगी	
13	अपील में दावा किया गया अनुतोष	
14.	विवाद की रकम: (घ) समकरण उद्धहण (ङ) ब्याज (च) शास्ति	

अपील के आधार

1. 2. 3. 4. आदि

……………………………… …………………

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हों) (अपीलार्थी)

सत्यापन

मैं, …………………., अपीलार्थी घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख ………………….. को ………………………… सत्यापित

स्थान ………….

……………..

हस्ताक्षर

(अपीलार्थी)

टिप्पणियां :

1. अपील ज्ञापन तीन प्रतियों में होगा, जिसके साथ उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है कि दो प्रतियां (जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए) निर्धारण अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के आधारों की दो प्रतियां, उक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए तथ्यों के विवरण की दो प्रतियां, यदि कोई हों, संलग्न होंगी ।

2. वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 175 की उपधारा (1) के अधीन अपील ज्ञापन के साथ 1000 रुपए की फीस संलग्न होगी ।

3. फीस के प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक की शाखा में चालान अधिप्राप्त करके जमा किया जायेगा और चालान तीन प्रतियों में अपील के ज्ञापन के साथ अपील अधिकरण को भेजा जायेगा । अपील अधिकरण चैक, ड्राफ्ट, हुंडियों या अन्य पराक्रम्य लिखतों को स्वीकार नहीं करेगा ।

4. अपील ज्ञापन अंग्रेजी में लिखित होगा या यदि अपील को अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आय-कर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित तत्समय अधिसूचित किसी राज्य में अवस्थित खंडपीठ में फाइल किया जाता है तो अपीलार्थी के विकल्प पर हिंदी में होगी और उसमें संक्षेप में सुभिन्न शीर्षकों के अधीन बिना किसी तर्क के या विवरण के अपील के आधारों को रखा जाएगा तथा उन्हें क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित किया जाएगा ।

5. *अपील की संख्या और वर्ष को अपील अधिकरण के कार्यालय में भरा जाएगा ।

6. अनुपयुक्त स्तंभों का लोप कर दें ।

7. यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा ।

* टिप्पणियां

1. कृपया नोट करें कि मिथ्या पैन/आधार को कोट करने पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 272ख के अनुसार 10,000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी ।

2. करदाता आय-कर के संदाय के लिए निम्नानुसार चैक/डिमांड ड्राफ्ट आहरित/जारी कर सकेंगे :

______________________आय-कर खाता में संदाय करें (उस बैंक का नाम, जहां चालान जमा किया जा रहा है)

कृपया सुनिश्चित करें कि बैंक अभिस्वीकृति में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हैं :-

1. बैंक शाखा का 7 अंकों का बीएसआर कोड
2. चालान जमा करने की तारीख (दिन मास वर्ष)
3. चालान की क्रम संख्या

इनको विनिर्दिष्ट सेवाओं या ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के विवरण में उद्‌दृत किया जाना है ।

[अधिसूचना सं. 87/2020/ फा. सं. 370142/21/2020-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर निति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1905 (अ), तारीख 27 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।